राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस विज्ञप्ति

एफ.6–A(01) परीक्षा 'क'/राज्य – अधी/2023–24/1643 दिनांकः– 01.04.25

पुनर्गणना (Re-Totalling) के संबंध में

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 02.01.2025 में असफल अभ्यर्थियों (हॉरिजोण्टल श्रेणी–विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी व दिव्यांग वर्ग के अतिरिक्त) को नियमानुसार उक्त परीक्षा में प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) कराने हेतु दिनांक 03.04.2025 से दिनांक 12.04.2025 **(रात्रि 12 बजे)** तक **निम्नानुसार ऑनलाईन अवसर** प्रदान किया जाता है :–

1. मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) हेतु आयोग की वेबसाईट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर EXAM DASHBOARD के अन्तर्गत Instructions/ Link कॉलम में उपलब्ध Link को Click करते हुए Online आवेदन करें।
2. 25/– रू प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का ऑनलाईन ही भुगतान करें।
3. ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं ऑफलाईन रूप से शुल्क स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 18(1) में उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) को अनुमत नहीं किया गया है। अतः पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) सम्भव नहीं होगा।

1/4/25

(रामनिवास मेहता)
सचिव

एफ.6–A(01) परीक्षा 'क'/राज्य – अधी/2023–24/1644 दिनांकः– 01.04.25

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग की उक्त प्रेस–विज्ञप्ति निम्नांकित दैनिक समाचार–पत्रों के नवीनतम संस्करण में **सशुल्क** प्रेस–विज्ञप्ति केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है :–
   1. दैनिक भास्कर, (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
   2. राजस्थान पत्रिका, (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)

उक्त प्रेस विज्ञप्ति जिस पत्र के साथ समाचार पत्रों को भेजी जाए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को आयोग के अवलोकनार्थ कृपया पृष्ठाकिंत करें। इन समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबन्धकों से भी अनुरोध किया जाए की आयोग की प्रेस–विज्ञप्ति नवीनतम दैनिक संस्करण में हर हालत में प्रकाशित करें, साथ ही यह भी अनुरोध किया जाए कि प्रकाशित प्रेस–विज्ञप्ति की कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) सीधे ही आयोग को भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।

01-04-25

उप सचिव